न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 21/2024

अपीलान्ट्स

1 दीपाराम पुत्र रेंवतराम दोहिता स्व. रणाराम 2 नथुराम पुत्र रेंवतराम दोहिता स्व. रणाराम 3 किशोर पुत्र रेंवतराम दोहिता स्व. रणाराम 4 शारदा पुत्री रेंवतराम दोहिती स्व. रणाराम 5 सुनिता पुत्री रेंवतराम दोहिती स्व. रणाराम जातियान नायक निवासीगण माडपुरा तहसील खीवसर हाल प्रताप बस्ती, सीयाराम जी की गुफा के पास बीकानेर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 तेजाराम तथाकथित दत्तक सोनीदेवी पत्नी रणाराम जाति नायक निवासी देउ तहसील खींवसर जिला नागौर।
2 भीखी पुत्री स्व. रणाराम पत्नी रामकरण जाति नायक निवासी देउ हाल निवासी बंगला नगर जाट धर्मशाला के पीछे नायको का मौहल्ला बीकानेर।
3 चुका पुत्री स्व. रणाराम पत्नी रूपाराम जाति नायक निवासी देउ हाल निवासी प्रताप बस्ती बीकानेर
4 तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री राधेश्याम सांगवा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश गौड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 02 व 03 की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 04 की ओर से।

दिनांक 08.04.2025

निर्णय

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील खींवसर के मौजा देउ के नामान्तरकरण सं. 532 निर्णय दिनांक 06.10.1998 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.05.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 27.05.2024 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से श्री ओम प्रकाश गौड ने वकालतनामा पेश किया तथा संख्या 04 की ओर से श्री आमेप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा देउ के नामान्तरकरण संख्या 532 की फोटोप्रति, तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गोदनामा दिनांक 28.11.95 की फोटोप्रति, पण्डे की बही दिनांक 25.07.24 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर के अनवान भीखी बनाम अमृत वगैरा के फर्दअहकाम दिनांक 26.06.23 से 26.12.24 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर के अनवान भीखी बनाम अमृत वगैरा के फर्दअहकाम दिनांक 26.06.23 से 26.12.24 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर में प्रस्तुत फार्म नम्बर 03 की फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट्स के नाना स्व. रणाराम के तीन पुत्रीयां भंवरी, भीखी चुका थी, जायंदा पुत्र नहीं था, जिससे अपीलांट्स के नाना रणाराम के देहान्त के बाद जो विरासत का नामान्तरकरण संख्या 357/84 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया वह नामानतरकरण उस समय स्व. रणाराम की विधिक उतराधिकारी उसकी तीन पुत्रीयां भंवरी, भीखी, चुका व रणाराम की बेवा सोनीदेवी थी चारों के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था मगर ग्राम पंचायत देउ के सरपंच ने रणाराम के विधिक उतराधिकारी की जांच किये बिना व मौके पर कब्जा की जांच किये बिना केवल स्व रणाराम की पत्नी सोनीदेवी के ही

08/4/25

अपर कलक्टर, नागौर

नाम त्रुटिपूर्वक नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया व तीनों पुत्रीयां जीवित मौजूद उतराधिकारी होते हुए भी उनका नाम दर्ज नहीं किया गया व रणाराम की पुत्रीयां ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिलाए होने से उनको उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं रही व मौके पर खसरा नम्बर 600 में अपने पिता स्व. रणाराम के हिस्से की भूमि पर तीनों पुत्रीयां भी अपनी माता सोनीदेवी के साथ लगातार काबिज काश्तकार व कानूनन उतराधिकारी हुई रही व है। कालान्तर में अपीलांट्स की माता भंवरी पुत्री स्व. रणाराम का देहान्त हो गया व भंवरी के उतराधिकारी अपीलांट्स भंवरी के हिस्से की भूमि पर अपनी नानी व मौसी भीखी व चुका के साथ काबिज काश्तकार हुए, रहे। तत्पश्चात अपीलांट्स की नानी सोनीदेवी का देहान्त हो गया व सोनी देवी के देहान्त के बाद चूंकि उक्त खसरा नम्बर 600 में स्व. रणाराम के स्थान पर सोनी देवी अकेली का नाम दर्ज था जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पो. संख्या 1 तेजाराम कथित गोदनामा के दस्तावेज के आधार पर अपने आप को स्व. सोनीदेवी का गोदपुत्र होना बता कर अपने नाम बाले बाले उतरोतर गलत नामान्तरकरण संख्या 532/दिनांक 06.10.1998 दर्ज करवा लिया व अब उसकी आड में अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने की धमकी दी व तेजाराम ने बताया कि वह सोनीदेवी का गोदपुत्र है व गोदपुत्र की हैसियत से उसने नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया है तब अपीलांट्स ने इस बारे में पता किया व अपनी मौसी वगैरा से भी पूछताछ की व राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि स्व0 रणाराम के फौतगी का नामान्तरकरण ही गलत दर्ज हो रखा है व उसके आधार पर उतरोतर तेजाराम के कथित गोदनामा के आधार पर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली है हालांकि पश्चातवर्ती नामान्तरकरण पूर्व के अवैध नामान्तरकरण के कारण स्वतः अवैघ व शून्य होता है मगर उसके विरूद्व भी नामान्तरकरण के कारण स्वतः अवैघ व शून्य होता है मगर उसके विरूद्व भी अपील पेश की जाना आवश्यक होने से मूल नामान्तरकरण संख्या 357 के विरूद्व अलग से अपील सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर के यहा पेश की जा चुकी है व पश्चातवर्ती अवैध नामान्तरकरण के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई तथा अपील पेश करने के लिए संबंधित राजस्व रेकर्ड की नकलो के लिए अपीलांट्स प्रयासरत रहे लेकिन तहसील कार्यालय अथवा जिला कलेक्टर रेकर्ड रूम में उसकी नकल नहीं मिलने व पटवारी से सम्पर्क करने पर पटवारी से दिनांक 15.05.24 को मूल नामन्तनकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, तत्पश्चात द्वितीय अवैध नामान्तरकरण जैर अपील जो तेजाराम के नाम भरा गया उसकी प्रमाणित प्रतियो के लिए कार्यवाही करने पर दिनांक 22.05.24 को उसकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई व सारे दस्तावेजात दिनांक 22.05.24 तक प्राप्त होने व अपीलांट्स को दोनों नामान्तरकरण के विरूद्व अपील पेश करने की कानूनी राय मिलने से आज ही इस पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 532 के विरूद्व यह अपील तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश की, जिससे जानकारी की तारीख से अन्दर मयाद होने से अपील को अन्दर मयाद सुमार किया जावे। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– विवादित नामान्तरकरण जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व, बिना विधिवत जांच किये स्वीकृत किया होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि मौके पर पहले अपीलांट्स की माता का व बाद में अपीलांट्स का लगातार कब्जा काश्त रहता चला आया है।

{2}(II)– म्यूटैशन जैर अपील स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार का यह विधिक व नैतिक दायित्व है कि जिस खातेदार की मृत्यु हुई है उसके सभी उतराधिकारियों की जाचं की जावे व मौके पर कौन कौन किस किस हैसियत से काबिज है उसकी जांच की जावे, साथ ही तेजाराम के हक में कथित गोदनामा विधि सम्मत हुआ अथवा नहीं, कब हुआ, किसने गोद लिया व उस गोदनामा से तेजाराम को कितने हिस्से की हद तक अधिकार प्राप्त हुए इस बाबत कोई जांच नहीं की गयी जो की जाना आवश्यक था तत्पश्चात ही विधिक उतराधिकारीयों के नाम म्यूटेशन किया जाना आवश्यक था लेकिन प्रकरण हाजा में ऐसी कोई विधिक जांच नहीं की गयी न कभी कोई नोटिस किसी भी पक्ष को दिया व बाले बाले ही अकेले रेस्पो संख्या 1 तेजाराम के नाम नामान्तरकरण कर दिया जबकि तेजाराम के नाम यदि उक्त गोदनामा जिसे अपीलांट स्वीकार नहीं

08/4/25

अपर कलक्टर, खींवसर

करते है फिर भी उसे माना जावे तो केवल सोनीदेवी के 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्से की हद तक ही तेजाराम के नाम नामान्तरकरण हो सकता था, सोनीदेवी की दो जायंदा पुत्रीयां भीखी व चुका आज भी मौजूद है व मृत पुत्री भंवरी के वारीस अपीलांट्स आज दिन मौजूद व काबिज है उनके नाम सोनीदेवी के उतराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण दर्ज करना आवश्यक था जो जानबूझ कर नहीं किया गया है व रेस्पो. संख्या 1 ने मिलीभगती से बोल बाले ऐसा बवैध नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)—मूल विधि विरूद्व नामान्तरकरण के आधार पर उतरोतर दर्ज गलत नामान्तरकरण व गलत खातेदारी से अपीलांट्स के न तो विधिक अधिकार समाप्त हुए न ही रेस्पो. संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त होते है मगर राजस्व रेकर्ड कथित अवैध नामान्तरकरण के जरिये उतरोतर रेस्पो. संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठा कर रेस्पो. संख्या 1 विवादित नामान्तरकरण के बाद उसके नाम हुए द्वितीय अवैध नामान्तरकरण की आड में अपीलांट्स को बेदखल करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण जैर अपील अवैध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)— स्व. सोनीदेवी के हेहान्त के पश्चात कोई वारीस प्रमाण पत्र भी ग्राम पंचायत से जारी नहीं करवाया, म्यूटैशन की पुश्त पर सोनीदेवी की वारिस सूची का भी कोई अंकन नहीं किया गया है जिससे लापरवाही, मिलीभगत साफ जाहिर होती है ऐसी स्थिति में म्यूटैशन जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)—अपीलांट्स स्व. रणाराम व स्व. सोनीदेवी की मृत जांयदा पुत्री भंवरी की संताने होने से रणाराम के विधिक उतराधिकारीगण है और विधिनुसार एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अनुसार अपीलांट्स का भी अपनी नानी के देहान्त के बाद विधिनुसार हक हिस्सा हुआ, रहा व है। चूंकि पूर्व में अपीलांट्स के नाना के देहान्त के समय अपीलांट्स की माता का नाम दर्ज नहीं हो सका था न ही रणाराम की अन्य पुत्रीयों का नाम दर्ज हो सका था इस कारण रेस्पो. संख्या 1 तेजाराम अपीलांट्स की नानी सोनीदेवी के गोद होना बता कर नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया जिससे तेजाराम को यदि अधिकार मिलता है तो केवल 1/4 हिस्सा जो सोनीदेवी का था उसमें से 1/4 हिस्सा की हद तक ही अधिकार मिलता है क्योंकि 1/4—1/4 रणाराम की तीनों पुत्रीयों का हिस्सा था व 1/4 पत्नी सोनीदेवी का था और सोनीदेवी ने तेजाराम को गोद लिया है तो सोनीदेवी के 1/4 हिस्से में सोनीदेवी के देहान्त के बाद सोनीदेवी की तीनों पुत्रीयों जिनमें मृत पुत्री भंवरी के वारीस अपीलांटस सहित गोदपुत्र तेजाराम का बराबर 1/4—1/4 हिस्सा होता है व उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त रहता चला आया है मगर कथित मूल अवैध नामान्तरकरण के जरिये गलत दर्ज खातेदारी की आड में उतरोतर सोनीदेवी के देहान्त के बाद षडयंत्रपूर्वक ढंग से भरवाया गया नामान्तरकरण जैर अपील अवैघ हुआ, रहा व है मगर मूल नामान्तरकरण ही अवैध होने से उसके पश्चात भरा गया नामान्तरकरण भी अपास्त कियो जाने योग्य है।

{2}(VI)—रेस्पो. संख्या 1 अत्यंत चालाक बदमाश प्रवृति का व्यकित है जिसने कभी भी दत्तक पुत्र का कोई कर्तव्य निर्वहन नहीं किया है न गौद लेने व देने की कोई रश्मे हुई न विधिवत गोद लिया व दिया गया था न सोनीदेवी की पुत्रीयों के यहा जाकर रेस्पो. संख्या 1 के भाई के नात कोई सामाजिक दायित्वों का निर्वहन ही किया है मगर फिर भी छल कपट से दत्तक पुत्र बन कर सोनीदेवी के देहानत के बाद उसके स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है व अब उसके आड में विवादित नामान्तरकरण से संबंधित आराजी को बेचान, गिरवी हस्तान्तरकण करने या अन्य तरह से खुर्द बुर्द करने व अपीलांट्स व उनकी मौसी वगैरा को मौके से बेदखल कर जबरन कब्जा करने या अन्य का करवाने की ऐलानिया धमकियां देनी शुरू कर दी है विवाद कर रहा है इस कारण कथित मूल अवैध नामान्तरकरण को खारिज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2009(1) पेज 468 से 469 व आरआरडी 2009 पेज 195 से 197 तक नजीरे पेश की।

08/4/25

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि–

{3}(I)– अपील में जिस म्यूटेशन को चुनौती दी गयी है, उसमें पहले भरे म्यूटेशन संख्या 356/84 जो ग्राम पंचायत द्वारा भरा गया था। उसमें ग्राम पंचायत देउ ने केवल मात्र रणाराम की धर्मपत्नी सोनी देवी के नाम भरा गया था। ऐसी स्थिति में जब रणाराम की स्वर्गवास के समय जो म्यूटेशन भरा गया था। वह म्यूटेशन में ही जब अपीलार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं माना गया तथा म्यूटेशन केवल मात्र श्रीमति सोनी देवी के नाम भरा गया था, ऐसी स्थिति जब तक म्यूटेशन संख्या 356/84 स्टेण्ड करता है तब तक अपीलार्थीगण को न तो उक्त अपील पेश करने का अधिकार मिलता है व न ही ऐसी पेश की गयी अपील का कोई सुनवाई ही की जा सकता है।

{3}(II)–अपीलार्थीगण के भिवक्तानुसार उनके द्वारा म्यूटेशन संख्या 356/84 को लेकर एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर के समक्ष पेश कर रखी है, चूकि जब उक्त म्यूटेशन की अपील लम्बित है तो ऐसी स्थिति हस्तगत म्यूटेशन की अपील की सुनवाई स्थगित रखा जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

{3}(III)–स्वयं अपीलार्थीगण ने इस बात को अपील मिमो में स्वीकार किया है कि हस्तगत अपील एक औपचारिक अपील है। मूल अपील तो जो म्यूटेशन संख्या 356/84 को लेकर पेश की गयी है व है ऐसी स्थिति में उक्त अपील को सुनवाई स्थगित रखा जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

{3}(IV)–उक्त अपील आदेश दिनांक 06.10.1998 को करीब 26 वर्ष पश्चात चुनोती दी गयी है जो अत्यधिक विलंब से पेश अपील है जबकि इस संबंध में अपीलार्थी को शुरू से ही जानकारी थी। इस प्रकार से उक्त अपील प्रथम दृष्टया मयाद बाहर, सारहीन एवं बलहीन तथ्य पर आधारित होने के कारण प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(V)–उक्त प्रकरण में जब तक पंजीबद्व गोदनामा दिनांक 28.11.1995 को निरस्त घोषित नहीं करवाया जाता है, उक्त अपील में न तो सुनवाई की जा सकती है व न ही उक्त अपील मेन्टेनेबल रहती है।

{3}(VI)–रणाराम व सोनी देवी की सेवा चाकरी, हारी–बीमारी में मदद, भरण–पोषण एवं उनके समस्त जातिय, धार्मिक एवं सामाजिक रिति–रिवाज मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ही किये है। यहां तक की इनके स्वर्गवास के प्श्चात अंत्येष्ठी से लेकर उनके समत जातीय, धार्मिक एवं सामाजिक रिति–रिवाज मुझ प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ही किये है। हरिद्वार फूल विसर्जन एवं अन्यत्र धार्मिक कार्य हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 ही सभी जगह गयी है। इस आधार पर भी एक हिन्दू परिवार की संस्कृति व व्यवस्था को देखते हुए उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(VII)–उक्त भूमि को लेकर राजस्व वाद की लम्बित है, जिसमें स्टे हो रखा है। ऐसी स्थिति एक व स्वत्व राजस्व वाद में तय होना है। म्यूटेशन प्रोसिडिंग तो केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है।

{3}(VIII)–उक्त भूमि को लेकर पक्षकाराण के मध्य एक राजस्व वाद भी खींवसर न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जब तक उक्त वाद का निर्णय भी नहीं हो जाता है, तब तक उक्त अपील की सुनवाई किया जाना भी उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि उक्त वाद के निर्णय से ही सारी विषय वस्तु सामने आ जायेगी।

{3}(IX)–उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन पत्र जो पूर्व मे हुए म्यूटेशन को चुनौती खींवसर न्यायालय मे दी हुई है, इसलिए उक्त प्रकरण की सुनवाई नहीं किये जाने का पेश किया गया था, परन्तु उक्त आवेदन पत्र पर न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण निर्णय के समय किया जायेगा। जबकि ऐसा आदेश विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि यदि उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण पहले ही कर दिया जाता है तो उक्त अपील ही सारहीन हो जायेगी और उक्त अपील खारिज हो जायेगी। इसलिए न्यायालय को उक्त आवेदन पत्र का निस्तारण पहले ही करना चाहिए था तथा अपने कथन के समर्थन में सीसीसी 2012(2) पेज 01, आरआरडी 2011 पेज 228, आरबीजे 2011 पेज 352, आरबीजे 2012 पेज 686, आरबीजे 2010 पेज 289, आरबीजे 2010 पेज 628, आरआरडी 2009 पेज 150, आरआरडी 2009 पेज 661, आरआरडी 2008 पेज 817, डीएनजे 2003(3) पेज 1266, आरआरडी 2002 पेज 26, आरआरडी 2001 पेज 35, डीएनजे 2012(2) पेज 602, डीएनजे 2008(2) पेज 735 नजीरे पेश की।

08/4/17

अपर कलक्टर, नागौर

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खींवसर के मौजा देउ के नामान्तरकरण सं. 532 निर्णय दिनांक 06.10.1998 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा दिनांक 04.03.25 को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं अवलोकन किया गया, तहसीलदार के द्वारा जारी नामान्तरण आदेश के खिलाफ अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। अतएव वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.25 बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

तहसीलदार खींवसर का दायित्व था कि नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व विवादित जायगा के दस्तावेजों की जांच कर एवं मौका की स्थिति एवं पक्षकारो की संपूर्ण जानकारी/जांच करने के पश्चात नामान्तरकरण स्वीकृत करते। अपीलांट्स को उक्त कार्यवाही से पूर्व सुना गया हो, ऐसा भी प्रतीत नही होता है तथा न ही वास्तविक उतराधिकारियो की जांच की जाना प्रकट होता है। नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार खींवसर के मौजा देउ के नामान्तरकरण सं. 532 निर्णय दिनांक 06.10.1998 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, विधिक उतराधिकारियो की जांच कर, दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/4/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर